भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5596
दिनांक 27 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

तमिलनाडु में पोषण अभियान

5596. **श्री मलैयारासन डी.:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु में पोषण अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरियों और माताओं के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त मिशन के अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों को सुदृढ़/उन्नत किया गया है और उनमें प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता क्या है;

(ग) कुपोषण की दरों, सेवा प्रदाय और लाभार्थियों की संतुष्टि की निगरानी के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पोषण के महत्व के बारे में समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पोषण अभियान के संबंध में बेहतर परिणामों हेतु इसके स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा कार्यक्रमों के साथ समन्वय के लिए प्रस्तावित प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) केंद्र प्रायोजित मिशन है, जिसके अंतर्गत तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और किशोरियों (पूर्वोत्तर राज्यों और आकांक्षी

जिलों में 14-18 वर्ष की आयु) को लाभ मिलता है। मिशन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है। इस व्यापक मिशन में आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजनाएं शामिल हैं।

तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में मिशन पोषण 2.0 के तहत बच्चों, किशोरियों और माताओं की पोषण स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का विवरण नीचे दिया गया है:

- मिशन पोषण 2.0 के तहत, सामुदायिक सहभागिता, जागरूकता अभियान, व्यवहार परिवर्तन और प्रचार-प्रसार जैसी गतिविधियों के माध्यम से कुपोषण को कम करने और स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। यह आयुष पद्धतियों के माध्यम से मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के पोषण संबंधी मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और तंदुरुस्ती पर केंद्रित है ताकि दुबलापन, बौनापन, एनीमिया और अल्प वजन की व्याप्तता को कम किया जा सके।

- बच्चों (6 माह से 6 वर्ष तक), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों (14-18 वर्ष की आयु) को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्रों में पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाने वाला राशन तैयार करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

- इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण की रोकथाम और उपचार के लिए संयुक्त रूप से 'बच्चों में कुपोषण प्रबंधन प्रोटोकॉल' जारी किया है।

- आहार विविधता और स्थानीय पौष्टिक उत्पादों के सेवन को प्रोत्साहित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं तैयार की गई हैं।

- मिशन पोषण 2.0 के तहत, गंभीर कुपोषण से पीड़ित बच्चों को टेक-होम राशन (टीएचआर) के रूप में अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने बच्चों में कुपोषण को कम करने के लिए "उत्तचथाई उरुथी सेई" योजना कार्यान्वित की

है। इस योजना के तहत, छह महीने से कम उम्र के कुपोषित बच्चों की माताओं को पोषण किट प्रदान की जाती हैं ताकि बच्चे की पोषण स्थिति में सुधार हो सके।

- गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की माताओं को दो पोषण किट दी जाती हैं।
- मध्यम रूप से कुपोषित बच्चों की माताओं को एक पोषण किट दी जाती है।

इसके अलावा, मिशन में सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों का प्रावधान है, जो पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्र का उन्नत और आधुनिक रूप है। इसमें आधुनिक डिजिटल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बुनियादी ढांचा मौजूद है, जिसमें इंटरनेट/वाईफाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन लगाना, स्मार्ट लर्निंग साधन, ऑडियो-विजुअल उपकरण, बाल-अनुकूल शिक्षण साधन और कलाकृति (शैक्षिक चित्रकला, बच्चों के लिए अभ्यास बोर्ड, सूचना बोर्ड) शामिल हैं। मिशन पोषण 2.0 के तहत 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को पांच साल में सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में उन्नत करने की मंजूरी दी गई है, अब तक 1,03,940 आंगनवाड़ी केंद्रों को उन्नत किया जा चुका है।

मंत्रालय ने आंगनवाड़ी केंद्रों की सभी गतिविधियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और लाभार्थियों की पोषण सहित परिभाषित संकेतकों पर निगरानी और ट्रैकिंग के लिए एक आईसीटी आधारित सरकारी उपकरण 'पोषण ट्रैकर' नामक डिजिटल एप्लिकेशन शुरू किया है। इससे आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए लगभग तत्समय (रियल टाइम) में डेटा संग्रह सुलभ हो गया है। इस एप्लिकेशन की मदद से मंत्रालय और राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति सहित विभिन्न मापदंडों पर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा कर सकते हैं और आवश्यक सुधार कर सकते हैं। अंतिम लाभार्थी तक सेवा प्रदायगी की ट्रैकिंग के लिए पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन में चेहरे की पहचान प्रणाली की शुरुआत की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल एप्लिकेशन में पंजीकृत इच्छित लाभार्थी को ही मिले। इसके अलावा, आधार के जरिए ट्रैकिंग से लाभार्थियों की सही पहचान, डेटा लीक होने की रोकथाम और फर्जी प्रविष्टियों को खत्म करने में मदद मिली है।

इसके अलावा, पोषण ट्रैकर में मिशन पोषण और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने की वेब-आधारित सुविधा भी उपलब्ध है। पोषण हेल्पलाइन (1515) मिशन पोषण 2.0 का अभिन्न अंग है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से लाभार्थी दी जाने वाली सेवाओं के बारे में अपनी समस्या बता सकते हैं। यह हेल्पलाइन 17 भाषाओं में उपलब्ध है।

मिशन के तहत किए जाने वाले प्रमुख कार्यों में से एक है समुदायिक जुटाव और जागरूकता प्रचार-प्रसार, जिसका उद्देश्य लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में जागरूक करना है।

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सितंबर और मार्च-अप्रैल में मनाए जाने वाले क्रमशः पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के दौरान जन आंदोलन के अंतर्गत नियमित रूप से जागरूकता अभियान चला रहे हैं और उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा, समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) पोषण संबंधी आदतों में बदलाव लाने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति साबित हुए हैं और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को हर महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करना अनिवार्य है। कुल 9.8 करोड़ समुदाय आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 2018 से अब तक 15 जन आंदोलनों के माध्यम से 150 करोड़ से अधिक जन आंदोलन गतिविधियां संचालित की गई हैं।

कुपोषण की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए, खाद्य, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता और शिक्षा जैसे आयामों को शामिल करते हुए बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने हेतु 18 से अधिक मंत्रालयों/विभागों के बीच व्यापक ताल-मेल सुनिश्चित किया गया है।
